राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–210/2007

तूकीराम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर दिनांक 26.069.1975 को हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर दिनांक 09.08.1985 को हुई। अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 19.09.1994 को प्रदान किया गया। रिवाईज्ड पे–स्केल 1998 से लागू होने के पश्चात अपीलार्थी को पे–स्केल 6500–10500 दिया गया था। अपीलार्थी ने आगे यह कथन किया है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.1989 के आधार पर अपीलार्थी 7500–12000 का पे–स्केल 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्राप्त करने का अधिकारी था, परंतु अपीलार्थी को 6500–10500 की पे–स्केल पर ही रखा गया। अपीलार्थी को वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के आदेश दिनांक 24.02.2004 के द्वारा दिये गए। वह अपीलाथी की पे–स्केल 6500–10500 रखी गई। अतः अपीलार्थी को पदोन्नति पर वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी पूर्व में भी 6500–10500 की पे–स्केल पर था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि पदोन्नति के पश्चात भी अपीलार्थी को उसी पे–स्केल पर रखा गया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–द्वितीय पर 9 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.92 की अनुपालना में चयनित

वेतनमान 2000–3200 स्वीकृत किया गया था तदुपरान्त अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित) वेतनमान नियम 1998 के अनुसरण में इनका चयनित वेतनमान संशोधित कर 16500–10500 दिया गया था। अपीलार्थी को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 7.8.1998 के अनुसार 8 वर्ष की सेवा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 6500–10500 के वेतनमान में पूर्ण करने पर 7500–12000 का वेतनमान दिनांक 19.8.2002 से देय होता है। अपीलार्थी की नियुक्ति द्वितीय वेतन श्रृंखला में 19.08.1985 है एवं प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 1908.1994 को दी जा चुकी है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.2.2002 द्वारा वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर पदोन्नति दी गई थी। अतः नियमानुसार अपीलार्थी को दिनांक 1.4.2002 से व्याख्याता राजनीति विज्ञान माना जाने के कारण वेतनमान 6500–10500 ही देय है एवं नियमानुसार अपीलार्थी पदोन्नति के समय ही व्याख्याता के वेतनमान 6500–10500 की वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहा था, इसलिए इनको 26ए का लाभ नहीं दिया गया एवं अपीलार्थी वेतन श्रृंखला 7500–12000 प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आदेश दिनांक 18.01.2006 पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों परिपत्रों के अनुसारण में जारी किया गया है जो पूर्णतया उचित एवं वैध है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 07.08.1998 के अनुसार 8 वर्ष की सेवा वरिष्ठ अध्यापक पद पर 6500–10500 के वेतनमान में पूर्ण करने पर 7500–12000 का वेतनमान 19. 08.2002 से पाने का हकदार होता है, क्योंकि वित्त विभाग के आदेशानुसार द्वितीय वेतनमान श्रृंखला में वर्तमान वेतनमान में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान देय है। चूंकि अपीलार्थी की नियुक्ति द्वितीय वेतनमान श्रृंखला में 19.08.1985 की है, जिन्हें पहले 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 19. 08.94 को वेतनमान 2000–3200 दिया जा चुका है। अतः अपीलार्थी को चयनित वेतनमान के लिए इस वर्तमान वेतन श्रृंखला में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 8 वर्ष पूर्ण करने पर देय है जो 19.08.2002 को होती है। चूंकि इससे पूर्व ही विभाग के आदेश संख्या शिविरा–माध्य/संस्था/सी6/ डीपीसी/31906/रावि/2002–03 दिनांक 24.02.2004 के द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2001–02 में डीपीसी से व्याख्याता रा०विज्ञान के पद पर चयन किया जाकर इनको व्याख्याता दिनांक 1.4.2002 से मान लिया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद के विरूद्ध कार्यरत रहते हुए 19.08.

02 से वरिष्ठ वेतनमान 7500–12000 चाहा गया है जो नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि इस तिथि से पूर्व ही अपीलार्थी व्याख्याता बना दिया गया इस कारण अपीलार्थी इस तिथि 19.08.2002 से चयनित वेतनमान के लाभ का अधिकारी नहीं है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा 26ए के लाभ की बात है इस संबंध में राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार जो कर्मचारी पदोन्नत होता है तथा पदोन्नति के समय ही पदोन्नति पद वाले वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहा है तो उसका वेतन समान स्टेज पर फिक्स किया जाता है। चूंकि अपीलार्थी अपीलार्थी व्याख्याता के वेतनमान वेतन प्राप्त कर रहा था। इसलिए इनको 26ए का लाभ देय नहीं होगा। अपीलार्थी द्वारा इनसे वरिष्ठता में कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला में कार्यरत रहते हुए 7500–12000 वरिष्ठ वेतनमान अहरित करना बताया गया है। किन्तु किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। वैसे भी वरिष्ठ वेतनमान की अवधि पूर्ण करने से पूर्व ही अपीलार्थी की पदोन्नति व्याख्याता पद पर हो जाने के कारण इनको उक्त वेतनमान देय नहीं है। अपीलार्थी का द्वितीय वेतन श्रृंखला में 8 वर्ष पूर्ण करने से पहले ही डी.पी.सी. वर्ष 2001–02 से व्याख्याता पद पर चयन हो जाने के कारण 7500–12000 का चयनित वेतनमान नहीं दिया गया है जो सही व नियमानुसार है। अपीलार्थी को पूर्व में ही राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.01.2006 के द्वारा 7500–12000 का वेतनमान न देने कारणों अवगत करा दिया गया था, क्योंकि 7500–12000 का वेतनमान अपीलार्थी को 19.08.2002 को देय होता है। किन्तु अपीलार्थी को 2001–02 की डीपीसी अनुसार (1/4/02) 2001–02 से ही व्याख्याता रा०विज्ञान मान लिया गया है। अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2001–02 में ही हो जाने तथा वर्ष 2004 में पदोन्नति आदेश दिनांक जारी होने पर भी इनकी व्याख्याता पद की पदोन्नति 2001–02 (1/4/02) से ही मानी जावेगी। आदेश दिनांक 18.1.2006 पूर्णतया नियमों के अनुसार जारी किया गया है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी को द्वितीय वेतन–श्रृंखला आठ वर्ष पूर्ण होने से पहले ही व्याख्याता के पद पर चयनित हो जाने पर 7500–12000 का चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 07.08.1998 के अनुसार 7500–10500 का सीनियर–स्केल में 8 वर्ष पूरे करने आवश्यक है। ऐसे में अपीलार्थी ने चूंकि सीनियर–स्केल द्वितीय वेतन श्रृंखला के समय 8 वर्ष पूरे नहीं किये

थे। इसलिए अपीलार्थी को 8 वर्ष पूरे करने से पूर्व 7500–12000 का वेतनमान देय नहीं होता है। अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध डीपीसी से अध्यापक के पद पर हुई थी। ऐसे में अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 7500–12000 के वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)